मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर०ए०एस०

सतवीर पुत्र भूपसिंह
जाति जाट नि० ढोभी

उनवान

बनाम

1. भूपसिंह पुत्र मनफूल
2. चरणसिंह 3. गीता | पुत्र-पुत्रियान
4. लीलावती 5. विमला | भूपसिंह
6. SBI शाखा धानीबड़ी
7. स्टेट तहसीलदार राजस्व भादरा

दावा बाबत :– 88 R T Act

मुकदमा नम्बर :– 209/2021

निर्णय दिनांक :– 26/11/2021

वादी की ओर से वकील सतवीर बैनीवाल की व प्रतिवादी सं० 1 ता 5 की ओर से वकील धर्मपाल बेरवाल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 26/11/2021 को मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि चक ढोभी बारानी के खाता संख्या 154/128 के मु.नं. 35, 36, 37, 62, 63, 64, 75, 76, 77, 95, 96, 102, 103, 106, 107, 119, 120, 121, 131 कुल किता 229 की कुल 52.499 है बारानी मय रास्ता में प्रतिवादी भूपसिंह के नाम 8749/52499 हिस्सा दर्ज है, चक गंगासिंहपुरा बारानी के खाता संख्या 34/46 के मु.नं. 52, 53, 76, 77, 86, 87 कुल किता 52 की कुल 13.1054 है० बारानी में प्रतिवादी भूपसिंह के नाम 43853/131054 हिस्सा दर्ज है। इसी प्रकार चक 11 BHD खाता संख्या 50/40 सम्वत 2076-79 के मु.नं. 16, 17, 18, 19, 20 कुल किता 53 की कुल 13.409 है० नहरी मय खाला में प्रतिवादी भूपसिंह के नाम 232.5 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि में वादी सतवीर व प्रतिवादी स० 1 भूपसिंह, प्रतिवादी सं. 2 चरणसिंह तीनों को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। चूंकि प्रतिवादी स० 3 ता 5 ने अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी स० 1 व 2 के पक्ष में तर्क कर दिया है। अतः तर्क किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा हो। राजीनामा को डिक्री का भाग पढ़ा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व), R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़